

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र०/SBPDCL-04/2019  
सेवा में,

पटना, दिनांक—

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कहलगाँव शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवशेष राशि 14.13 करोड़ (चौदह करोड़ तेरह लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या—613 दिनांक—05.03.2019 के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कहलगाँव शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि 3.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अवशेष राशि 14.13 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कहलगाँव शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवशेष राशि 14.13 करोड़ (चौदह करोड़ तेरह लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0111-बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900111 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०/SBPDCL-04/2019 के पृष्ठ संख्या-15/टि० पर दिनांक-25.02.2019 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०/SBPDCL-04/2019 के पृष्ठ संख्या-22/टि० पर दिनांक-21.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-04/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-04/2019 2331

/पटना, दिनांक-02/09/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।